

# प्रशिक्षण कार्यक्रम रिपोर्ट

## 5 days “Investigation of Economic Offences”

दिनांक 30-05-2022 से 04-06-2022

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।



राजस्थान पुलिस अकादमी में दिनांक 30-05-2022 से 04-06-2022 तक “ **Investigation of Economic Offences** ” विषय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम अभिज्ञान भवन में आयोजित किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी के सहायक निदेशक श्री कैलाश चन्द्र, उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त निदेशक आरपीए जयपुर के निर्देशन में प्रबुद्ध वक्ताओं को व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से 28 प्रतिभागियों जिसमें 04 पुलिस उप अधीक्षक, 20 पुलिस निरीक्षक एवं 04 उप निरीक्षक ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिन 10:00-10:15 AM तक पंजीकरण एवं कोर्स निदेशक द्वारा कोर्स का परिचय करवाया गया। प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री ऋषभ शर्मा, सहायक निदेशक, ईडी ने विभिन्न और प्रवर्तन एजेंसियों का परिचय **REIC, DRI, SDRI, FIU**, धन शोधन निवारण अधिनियम एवं बेनामी संपत्ति के मामले, संपत्ति की कुर्की, बैंक खातों की फ्रीजिंग और ईडी की भूमिका, पुलिस द्वारा जांच किए गए मामले का अध्ययन ईडी को हस्तांतरित के बारे में विस्तार से बताया। तृतीय सत्र में श्री अशोक गुप्ता, उप महानिरीक्षक पुलिस, पीएमडब्ल्यू, राजस्थान, जयपुर ने आर्थिक अपराधों की केस स्टडी के बारे में बताया।

द्वितीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री निशीथ दीक्षित, अधिवक्ता ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000/2008 सहित साइबर अपराधों से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान एवं साइबर अपराध और व्यावहारिक अभ्यास से संबंधित विभिन्न केस स्टडीज के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। तृतीय सत्र में श्री रितेश

शर्मा, उप प्रबंधक, कोटक महिंद्रा बैंक ने हाल के रुझानों के साथ ऑनलाइन बैंकिंग अपराध और केस स्टडी के साथ उनकी रोकथाम, पहचान और जांच पर व्याख्यान दिया।

तृतीय दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री गिरवर सिंह, आरटीएस (सेवानिवृत्त) ने संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम (टीपीए), मुख्तारनामा, वसीयत, रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और संबंधित विवाद एवं भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच - दोहरा पट्टा, जाली करार आदि के बारे में बताया। तृतीय सत्र में श्री रेवन्त दान, सहायक निदेशक (इनडोर) आरपीए, जयपुर ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 नवीनतम संशोधनों और केस स्टडी के साथ पर विस्तार से बताया।

चतुर्थ दिन के प्रथम सत्र में श्री पारिस देशमुख, आईपीएस, पुलिस उपायुक्त, उत्तर, जयपुर ने संगठित गिरोहों की संपत्ति जब्ती के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। द्वितीय सत्र में डॉ अजय शर्मा, निदेशक, एफएसएल, जयपुर ने दस्तावेज़ परीक्षा, विवादित लिखावट की पहचान, हस्ताक्षर और दस्तावेज़ के बारे में चर्चा की। तृतीय सत्र में एफ0एस0एल0 (दस्तावेज प्रभाग) का भ्रमण करवाया गया।

पंचम दिन के प्रथम एवं द्वितीय सत्र में श्री। महेंद्र सिंह कछवा, वकील वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के महत्वपूर्ण प्रावधानों के साथ वन्य जीव प्रजातियों की तस्करी की जांच पर व्याख्यान दिया। कोर्स के समापन में श्री गौरव यादव, पुलिस अधीक्षक, एसओजी जयपुर ने कोर्स से सम्बन्धित चर्चा की एवं चर्चा के पश्चात प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किये गये। समापन सत्र के अन्त में धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पश्चात कोर्स विधिवत सम्पन्न हुआ।

हस्ताक्षर  
कोर्स निदेशक